

Government of India/ भारत सरकार
Ministry of Railways/ रेल मंत्रालय
(Railway Board / रेलवे बोर्ड)

S.No.PC-VI/ 88

RBE No. 50 /2009

No. PC-VI/2008/II/7/2/1


New Delhi, dated 17 .03.09

The GMs/CAO(R)
All Indian Railways & Production Units
(as per mailing list)

**Sub : Payment of Dearness Allowance to Railway
employees – Revised rates effective from
01.01.2009**

Please refer to this Ministry's letter of even number dated 09.09.2008 (S No.PC-VI/3, RBE No. 106/2008) on the subject mentioned above. The President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Railway employees shall be enhanced from the existing rate of 16 % to 22% with effect from 1st January 2009

2. The provisions contained in Paras 3, 4 & 5 of this Ministry's letter of even number dated 09.09.2008 (S No.PC-VI/3, RBE No. 106/2008) shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.
3. The additional installment of Dearness Allowance payable under these orders shall be paid in cash to all Railway employees. The arrears may be charged to the salary bill for March, 2009 and no honorarium is payable for preparing separate bill for this purpose.
4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.




(Koshy Thomas)
Joint Director, Pay Commission-II
Railway Board

No.PC-VI/2008/II/7/2/1

New Delhi, dated 17.03.2009

Copy (with 40 spares) forwarded to ADAI (Railways), New Delhi.



for Financial Commissioner/Railways

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्रम सं. पी सी-VI/88
सं. पी सी-VI/2008/I/7/2/1

आर बी ई सं. 50/2009
नई दिल्ली, दिनांक: 17.03.2009

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: रेल कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी - 01.01.2009 से
लागू संशोधित दरें।

कृपया ऊपर उल्लिखित विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 09.09.2008 के समसंख्यक पत्र (क्रम सं. पीसी-VI/3, आरबीई सं. 106/2008) का अवलोकन करें। राष्ट्रपति जी ने सहर्ष यह निर्णय लिया है कि रेल कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता 1 जनवरी, 2009 से 16% की मौजूदा दर से 22% तक बढ़ा दिया जाएगा।

2. इस मंत्रालय के 09.09.2008 के समसंख्यक पत्र (क्रम सं. पीसी-VI/3, आरबीई सं. 106/2008) के पैरा 3, 4 एवं 5 में निहित उपबंध इन आदेशों के अंतर्गत महंगाई भत्ते का विनियमन करते समय लागू किए जाते रहेंगे।
3. इन आदेशों के तहत देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त का भुगतान समस्त रेल कर्मचारियों को नकद रूप में किया जाएगा। बकाया राशि को मार्च 2009 के वेतन बिल में प्रभारित किया जाए और इस प्रयोजन हेतु अलग बिल बनाने के लिए कोई मानदेय देय नहीं है।
4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

कोशी थॉमस

(कोशी थॉमस)

सं.निदेशक, वेतन आयोग-II,
रेलवे बोर्ड